

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-4/अ0प्र0-01-01/2016 13231

/पटना, दिनांक-31/12/25

प्रेषक,

जय किशोर ठाकुर,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय:- संवर्गीय कनीय अभियंताओं (कार्यरत/रोवानिवृत्त एवं मृत) का लंबित/देय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि कनीय अभियंताओं के देय/लंबित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु अनुशंसा आप सभी के द्वारा विभाग को काफी विलम्ब से की जाती है, फलतः वे ससमय वित्तीय उन्नयन के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कतिपय मामलों में वांछित सूचना के अभाव के कारण संबंधित कनीय अभियंताओं का वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति से संबंधित मामला लंबित रह जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बेवजह मामला न्यायालय के शरण में चला जाता है, इसके कारण विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।

विदित हो कि संवर्गीय कनीय अभियंता (कार्यरत/सेवानिवृत्त एवं मृत) के लंबित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति से संबंधित मामलों का समय सीमा के अन्दर नियमानुकूल निष्पादन किया जाना है, सम्प्रति कतिपय कनीय अभियंताओं का मामला विभाग के समक्ष विचाराधीन है। विभाग प्रयासरत है कि जैसे सभी कनीय अभियंता, जिनका वित्तीय उन्नयन लंबित है, उन सभी के मामलों पर समेकित रूप से एक साथ निर्णय लिया जाय।

अतः उक्त के आलोक में आप सभी को निदेश दिया जाता है कि आपके नियंत्रणाधीन पदस्थापित जैसे कनीय अभियंता (कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृत) जिनका वित्तीय उन्नयन लंबित है, उनके संबंध में संलग्न विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित वांछित सूचना/प्रतिवेदन (सेवापुस्त की अभिप्रमाणित प्रति के साथ) अनुशंसा के साथ 24 घंटे के अन्दर ई-मेल-jesection04@gmail.com पर निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इसके अतिरिक्त तत्काल आपके कार्यालय में कोई भी मामला लंबित नहीं है। इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



31.12.25

अभियंता प्रमुख।

पत्रांक-4/अ0प्र0-01-01/2016 13231

/पटना, दिनांक-31/12/25

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


31.12.25
अभियंता प्रमुख।

